प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला जयपुर थाना प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0 नि0 ब्यूरो, जयपुर वर्ष 2023
प्र0इ0रि0 सं. 114/2023 दिनांक 10/5/2023

2. (I) * अधिनियम भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018)
धारा 7, 7A

(II) * अधिनियम .....भारतीय दण्ड संहिता धारायें .....120 बी.....

(III) * अधिनियम ..... धारायें .....

(IV) * अन्य अधिनियम एवं धारायें .....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या .....215.....समय . 5:30 PM

(ब) अपराध घटने का दिन शुक्रवार दिनांक 08.05.2023 समय 05:39 पी.एम

(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 21.03.2023 समय 05:30 पी.एम

4. सूचना की किस्म :– लिखित / मौखिक – लिखित

5. घटनास्थल :– दैनिक भास्कर ऑफिस के सामने, सहेलीयों की बाडी रोड, यू.आई.टी. कार्यालय उदयपुर

(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी:– दक्षिण पश्चिम, लगभग 430 किमी.

(ब) पता .....उदयपुर शहर .....

.....बीट संख्या.....जयरामदेही सं.....

(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो

पुलिस थाना .....जिला .....

6. परिवादी / सूचनाकर्ता :–

(अ) नाम श्री देवीलाल चौधरी

(ब) पिता/पति का नाम श्री हीरालाल चौधरी

(स) जन्म तिथी/वर्ष करीब .....42 साल.....

(द) राष्ट्रीयता . भारतीय.....

(य) पासपोर्ट संख्या .....जारी होने की तिथि .

जारी होने की जगह .....

(र) व्यवसाय – वकालत

(ल) पता – निवासी– चौधरी कॉलोनी, ढीकली, तहसील बडगांव जिला उदयपुर हाल 159, श्यामविहार कॉलोनी, कालका माता रोड, उदयपुर

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित : –

1. श्री लोकेश जैन पुत्र श्री शांति लाल जैन, उम्र 39 साल, जाति जैन, निवासी– प्लॉट नम्बर 19, माधव नगर, शोभागपुरा, उदयपुर हाल फ्लेट नम्बर 503, आर्यी अरिहन्त अपार्टमेंट, शोभागपुरा, जे के पारस हॉस्पीटल के पास, पुलिस थाना सुखेर, जिला उदयपुर (प्राईवेट व्यक्ति)
2. श्री हरिमोहन मीणा, सहायक अनुभागाधिकारी, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. श्री मनीष गोयल (आर.ए.एस) संयुक्त शासन सचिव–प्रथम, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. श्री कुंजीलाल मीणा (आई.ए.एस) प्रिसिंपल सेकेट्री, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर व अन्य

8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :–....कोई नहीं.

9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें).....

10. चुराई हुई/ लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य ..... 12 लाख रूपये .....

11. पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) .....

12.विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें):–

महोदय,

निवेदन है कि दिनांक 21.03.2023 को श्री देवीलाल चौधरी पुत्र श्री हीरालाल चौधरी, जाति कलाल, निवासी ठीकली तह. गिर्वा, उदयपुर ने उपस्थित कार्यालय होकर एक लिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया–" सेवामें, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधिक्षक साहब एस.यू. द्वितीय ACB जयपुर राजस्थान विषय :–रिश्वतखोरो को पकडवाने बाबत, महोदय जी, निवेदन है कि ढीकली वाडा में मेरी कृषि भुमि है जिस पर मेने रिसोर्ट हेतु नियमन कराने के लिए नगर विकास प्रन्यास उदयपुर में दिनांक 26.09.2022 को आवेदन किया था जिसमें क. 101479 है जिस पर U.I.T उदयपुर ने NOC हेतु सयुक्त शासन सचिव– प्रथम UDH जयपुर को दिनांक 25.11.2022 को पत्र लीखा। सयुक्त शासन सचिव–प्रथम श्री मनीष जी गोयल से मै मेरी जमीन की NOC के सम्बंध में कई बार मील चुका हू लेकिन मनीष जी मेरी NOC जारी नही कर रहे है। मनीष जी लोकेश जेन एवं अन्य दलालो के मार्फत रिश्वत लेकर जमीनो की NOC व अन्य कार्य करते है श्री लोकेश जेन मेरी जमीन की NOC जारी करवाने के लिऐ मेरे से 25 लाख रूपये की रिश्वत मांग रहा है। मै लोकेश जेन एवं अन्य UDH अधिकारीयो एवं कर्मचारियों को रिश्वत नही देना चाहता हू। मै इनको रंगे हाथ पकडवाना चाहता हू। कार्यवाही करे। परिवादी ने प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा लिखित एवं प्रार्थना पत्र के सभी तथ्य सही होना बताया। परिवादी श्री देवीलाल चौधरी ने कार्यालय नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर के पत्रांक 5187 दिनांक 25.11.2022 की स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित फोटो प्रति पेश की। उक्त पत्र में यू.आई.टी. उदयपुर द्वारा सयुक्त शासन सचिव– प्रथम नगरीय विकास विभाग, जयपुर से परिवादी की राजस्व ग्राम वाडा में स्थित भूमि आराजी नम्बर 4778/1648, 4780/1649, 4782/1650,4773/1653, 4772/1653 4784/1652,1853 किता 07 रकबा 0.9157 हैक्ट. के नियमन के सम्बंध में NOC चाही गई है एवं आवेदक द्वारा आवेदित भूमि से लगती हुई न्यास भूमि आराजी संख्या 1654 रकबा 0.1000 हैक्ट. के भी रिसोर्ट हेतु किमतन आंवटन चाहने का उल्लेख है। उक्त पत्र को बाद अवलोकन शामिल कार्यवाही किया गया। प्रार्थना पत्र एवं नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर के पत्रांक के अवलोकन तथा मजीद दरियाफ्त से मामला रिश्वत मांग का पाया जाने पर रिश्वत मांग सत्यापन करवाने का निर्णय लिया गया। श्री रूपकिशोर कानि. 74 को मन पुलिस निरीक्षक ने अपने कक्ष में बुलाकर परिवादी श्री देवीलाल चौधरी एवं श्री रूपकिशोर कानि. 74 का आपस में परिचय करवाया गया। कार्यालय की आलमारी से सोनी कम्पनी का विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर निकालकर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के सभी फॉल्डर खाली होना सुनिश्चित कर रिकॉर्डर में नया SanDisk Ultra 32 GB का मैमोरी कार्ड डालकर परिवादी को रिकॉर्डर को चालू एवं बंद करने की प्रकिया समझाई गई। मन पुलिस निरीक्षक को परिवादी श्री देवीलाल चौधरी ने बताया

कि मै कुछ दिन अपने व्यक्तिगत कार्यो में व्यस्त रहूंगा। मै अपने काम के सम्बंध में जब श्री लोकेश जैन से मिलने जाउंगा उससे पहले आपको सूचित कर दूंगा। जिस पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी को हिदायत मुनासिब कर रुखसत किया गया। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखा गया। आईन्दा परिवादी द्वारा मन पुलिस निरीक्षक को सूचित किये जाने पर सत्यापन सम्बंधित कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात दिनांक 06.04.2023 को परिवादी श्री देवीलाल चौधरी ने अपने मोबाईल नम्बर 9352114545 से मन पुलिस निरीक्षक के मोबाईल नम्बर 9571744744 पर वाट्सऐप ऑडियो कॉल करके बताया कि मै दो–तीन दिन में अपने व्यक्तिगत कार्यो से निवृत्त होकर सोमवार दिनांक 10.04.2023 को श्री लोकेश जैन से मेरी जमीन की NOC जारी करवाने के सम्बंध में बातचीत करूंगा। चूंकि परिवादी द्वारा सोमवार दिनांक 10.04.2023 को संदिग्ध के पास जाकर अपनी भूमि की NOC के सम्बंध में बातचीत करने पर संदिग्ध द्वारा रिश्वत के सम्बधं में वार्ता करने की पूरी संभावना थी। अतः मन पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री देवीलाल चौधरी को हिदायत दी गई कि सोमवार दिनांक 10.04.2023 को श्री लोकेश जैन से अपने काम के सम्बधं में बातचीत करने हेतु जाने से पूर्व कानि श्री रूपकिशोर से डिजीटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर संदिग्ध श्री लोकेश जैन के साथ अपने काम के सम्बंध में होने वाली वार्ता को रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करे, इसके साथ ही मन पुलिस निरीक्षक द्वारा कानि. श्री रूपकिशोर 74 को अपने कक्ष में तलब कर, कार्यालय की अलमारी से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर निकालकर कानि. रूपकिशोर को सुपुर्द कर हिदायत दी गई कि सोमवार दिनांक 10.04.2023 को उदयपुर पहुंचकर परिवादी श्री देवीलाल चौधरी से सम्पर्क करे एवं परिवादी जब संदिग्ध के पास अपने काम के सम्बंध में बातचीत करने जाये उससे पूर्व रिकॉर्डर को चालू कर परिवादी को सुपुर्द करे एवं आस–पास ही मौजूद रहकर अपनी उपस्थिति छुपाते हुये परिवादी एवं संदिग्ध के मध्य होने वाली वार्ता को सुनने एवं उनको देखने का प्रयास करे।

इसके पश्चात दिनांक 12.04.2023 को श्री रूपकिशोर कानि.नम्बर 74 उपस्थित ब्यूरो कार्यालय आया। मन पुलिस निरीक्षक को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर बताया कि मैनें आपके आदेशानुसार दिनांक 10.04.2023 को उदयपुर पहुंचकर मेरे मोबाईल नम्बर 6375494341 से परिवादी श्री देवीलाल चौधरी के मोबाईल नम्बर 9352114545 पर जरिये कॉल सम्पर्क किया। परिवादी कोर्ट चौराहा उदयपुर पर मौजुद मिला। जहां पर परिवादी श्री देवीलाल चौधरी द्वारा जरिये मोबाईल संदिग्ध श्री लोकेश जैन से बात करने पर श्री लोकेश जैन ने कहा कि आप यूआईटी ऑफिस आ जाओ। इस पर मन कानिस्टेबल एवं परिवादी श्री देवीलाल चौधरी कोर्ट चौराहा से रवाना होकर यूआईटी सर्किल पहुंचे। जहां पर मैने डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चालू कर परिवादी को सुपुर्द किया। परिवादी यूआईटी ऑफिस के अन्दर चला गया। मै अपनी उपस्थिति छुपाते हुए यू.आई.टी ऑफिस के बाहर मूकिम रहा। कुछ देर बाद परिवादी ने यू.आई.टी ऑफिस से बाहर आकर मुझे रिकॉर्डर सुपुर्द किया। रिकॉर्डर को मैने बंद करके अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने मुझे बताया कि मेरी श्री लोकेश जैन से बात हो गई है। श्री लोकेश जैन ने यू.डी.एच. विभाग से श्री मनीष गोयल एवं अन्य अधिकारियो के मार्फत मेरी जमीन की NOC जारी करवाने के बदले 25 लाख रूपये की रिश्वत की मांग की है तथा मुझे 10 लाख रूपये एडवांस देने के लिये कहा है। परिवादी ने मुझे यह भी बताया कि समय मिलने पर मै किसी दिन ए.सी.बी कार्यालय, जयपुर पहुंचकर सीआई साहब को भी सम्पूर्ण हालात निवेदन कर दुंगा। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को विभागीय लेपटॉप से जोडकर दिनांक 10.04.2023 को दर्ज रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को सुना गया तो संदिग्ध श्री लोकेश जैन द्वारा परिवादी श्री देवीलाल चौधरी से उसकी भूमि की नगरीय विकास विभाग से एन.ओ.सी. जारी करवाने एवं न्यास भूमि का परिवादी को कीमतन आवटंन करवाने की ऐवज में श्री मनीष गोयल, सयुक्त शासन सचिव–प्रथम, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान– जयपुर एवं अन्य के लिये 25 लाख रूपये की रिश्वत मांग करने एवं 10 लाख रूपये एडवांस में देने की पुष्टि हुई। रिकॉर्डर को कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखा गया। परिवादी के ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आने या जरिये मोबाईल मन पुलिस निरीक्षक को सूचित करने पर अग्रिम कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया।

इसके पश्चात दिनांक 27.04.2023 को परिवादी श्री देवीलाल चौधरी ने ब्यूरो कार्यालय उपस्थित होकर मन पुलिस निरीक्षक को बताया कि दिनांक 10.04.2023 को मैने श्री रूपकिशोर जी से रिकॉर्डर प्राप्त कर, यूआईटी ऑफिस में जाकर श्री लक्ष्मण गुर्जर एएओ के कार्यालय कक्ष में श्री लोकेश जैन से मेरी जमीन की NOC के सम्बंध में बातचीत की थी तथा लोकेश जैन से हुई

उक्त वार्ता को मैने रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करके रिकॉर्डर श्री रूपकिशोर जी को दे दिया था। श्री लोकेश जैन ने मेरे से मेरी जमीन की नगरीय विकास विभाग से एन.ओ.सी. जारी करवाने एवं मेरी जमीन से लगती हुई न्यास भूमि का मेरे को कीमतन आवटंन करवाने के बदले श्री मनीष गोयल, सयुक्त शासन सचिव– प्रथम, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान– जयपुर एवं अन्य के लिये 25 लाख रूपये की रिश्वत मांग की एवं कहा कि इस काम को करवाने के लिये आपको मुझे 10 लाख रूपये एडवांस में देने होंगे। इसके अलावा परिवादी ने यह भी बताया कि आज मै मेरे काम के सम्बंध में नगरीय विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर गया था जहां मैने सम्बंधित बाबू से मेरी फाईल की जानकारी चाही तो मुझे पता चला कि मेरी फाईल में नगरीय विकास विभाग ने नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 19.01.2023 की सूची में खसरा नम्बर 1853 शामिल नही होने का ऑब्जेक्शन लगा रखा है। जबकि वस्तुस्थिति यह है कि नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा प्रेषित पत्र में खसरा नम्बर 1853 का अंकन किया हुआ है। जिस पर मैने प्रिसिंपल सेकेट्री, यू.डी.एच के सामने उपस्थित होकर नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा प्रेषित पत्र की फोटो कॉपी पेश करके बताया कि उक्त पत्र में खसरा नम्बर 1853 का उल्लेख किया हुआ है। जिस पर प्रिसिंपल सेकेक्ट्री ने मेरे द्वारा पेश नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा प्रेषित पत्र की फोटो कॉपी पर मार्क करके मुझे कहा कि इसको मनीष जी गोयल, सयुक्त शासन सचिव– प्रथम को दे दो। आपका ऑब्जेक्शन हट जायेगा। प्रिसिंपल सेकेक्ट्री द्वारा मार्क की गई फोटो कॉपी को मेरे द्वारा मनीष जी गोयल को देने पर श्री मनीष जी गोयल ने मेरे से इस सम्बंध में एक प्रार्थना पत्र लिखवाया। उपरोक्त कार्यवाही से परिवादी श्री देवीलाल चौधरी से उसकी भूमि के रिसोर्ट प्रयोजनार्थ नियमन हेतु नगरीय विकास विभाग से एन.ओ.सी. जारी करवाने एवं परिवादी की उक्त जमीन से लगती हुई न्यास भूमि का परिवादी को कीमतन आवटंन करवाने की ऐवज में श्री लोकेश जैन (प्राईवेट व्यक्ति) द्वारा श्री मनीष गोयल, सयुक्त शासन सचिव– प्रथम, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान– जयपुर एवं अन्य के लिये 25 लाख रूपये की रिश्वत मांग करने एवं 10 लाख रूपये एडवांस में देने की पुष्टि हुई। परिवादी से रिश्वत राशि के सम्बंध में पूछने पर परिवादी ने बताया कि अभी मेरे पास इतनी बडी रकम की व्यवस्था नही है। जिस पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी को रिश्वत राशि की व्यवस्था होने एवं श्री लोकेश जैन द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि मांगने पर मन पुलिस निरीक्षक को सूचित करने की हिदायत मुनासिब कर रूखसत किया गया। दिनांक 01.05.2023 को ट्रेप कार्यवाही हेतु स्वतंत्र गवाहान के रूप श्री दीपक शर्मा, कनिष्ठ अभियंता व श्री मनोज कुमार जैन कनिष्ठ अभियंता हस्व तलविदा उपस्थित कार्यालय आये, जिसको ट्रेप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह बनने हेतु पाबंद कर आईन्दा इस कार्यालय में उपस्थित होने हेतु रूखसत किया गया।

दिनांक 01.05.2023 को ही परिवादी श्री देवीलाल चौधरी ने अपने मोबाईल नम्बर 93521–14545 से मन पुलिस निरीक्षक के मोबाईल नम्बर 9571744744 पर कॉल करके बताया कि मुझे श्री लोकेश जैन ने अपने मोबाईल नम्बर 98290–40751 से मेरे मोबाईल नम्बर 93521–14545 पर वाट्सअप कॉल करके एवं मेरे द्वारा मेरे मोबाईल नम्बर 93521–14545 से श्री लोकेश जैन से उसके मोबाईल नम्बर 98290–40751 पर सामान्य कॉल करने पर श्री लोकेश जैन ने मुझे मेरे काम के सम्बंध बातचीत करने के लिये कल सुबह 11 बजे UIT ऑफिस उदयपुर बुलाया है। चूंकि संदिग्ध श्री लोकेश जैन द्वारा परिवादी से उसके कार्य के सम्बंध में एवं पूर्व में की गई रिश्वत मांग के अनुशरण में रिश्वत राशि कब एवं कहा देनी है इत्यादि के सम्बंध में बातचीत करने की सम्भावना थी। अतः परिवादी श्री देवीलाल चौधरी को हिदायत मुनासिब की गई कि कल श्री लोकेश जैन से बातचीत करने जाने से पूर्व कानि श्री रूपकिशोर से डिजीटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर संदिग्ध श्री लोकेश जैन के साथ अपने काम के सम्बंध में होने वाली वार्ता को रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करे। इसके बाद मन पुलिस निरीक्षक द्वारा कानि. श्री रूपकिशोर 74 को अपने कक्ष में तलब कर, कार्यालय की अलमारी से इस गोपनीय कार्यवाही में पूर्व से काम में लिये जा रहे डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को निकालकर कानि. रूपकिशोर को सुपुर्द कर हिदायत दी गई कि कल दिनांक 02.05.2023 को सुबह उदयपुर पहुंचकर परिवादी श्री देवीलाल चौधरी से सम्पर्क करे एवं परिवादी जब संदिग्ध के पास अपने काम के सम्बंध में बातचीत करने जाये उससे पूर्व रिकॉर्डर को चालू कर परिवादी को सुपुर्द करे एवं आस–पास ही मौजूद रहकर अपनी

उपस्थिति छुपाते हुये परिवादी एवं संदिग्ध के मध्य होने वाली वार्ता को सुनने एवं उनको देखने का प्रयास करे।

इसके बाद दिनांक 02.05.2023 को समय करीबन 12:33 पी.एम. पर परिवादी श्री देवीलाल चौधरी ने अपने मोबाईल नम्बर 9352114545 से मन पुलिस निरीक्षक के मोबाईल नम्बर 9571744744 पर कॉल करके बताया कि मुझे श्री रूपकिशोर जी यूआईटी चौराहा, उदयपुर पर मिले। इसके बाद मैने मेरे मोबाईल नम्बर से श्री लोकेश जैन के मोबाईल नम्बर पर सामान्य कॉल करने पर श्री लोकेश जैन ने मुझे कहा कि मै आप से लगभग आधे घण्टे बाद यूआईटी ऑफिस में मिलता हूँ। कुछ समय बाद मेरे द्वारा श्री लोकेश जैन को पुनः कॉल करने पर उसने मुझे कहा कि आप यूआईटी ऑफिस आ जाओ। इसके बाद श्री रूपकिशोर जी ने मुझे रिकॉर्डर चालू करके सुपुर्द किया। मै यूआईटी के अन्दर गया। जहां पर यूआईटी पार्किंग में श्री लोकेश जैन मौजूद मिले। जिनसे मैने अपने काम के सम्बंध में बातचीत तो श्री लोकेश जैन ने मुझे कहा कि आपका एनओसी वाला काम तो हो जायेगा परन्तु सरकारी जमीन के कीमतन आवटन वाले काम में मंत्री जी के यहा से हरी झण्डी मिलने में दिक्कत आ रही है। मै श्री मनीष जी गोयल एवं कुंजीलाल जी से तो आपका काम तुरन्त करवा दूंगा। श्री लोकेश जैन ने मेरे सामने ही अपने मोबाईल से मनीष जी के नाम से सेव नम्बर पर वाट्सऐप कॉल करके स्पीकर ऑन रखा। परन्तु घंटी जाने के बावजुद भी श्री लोकेश जैन का फोन रिसीव नही हुआ। श्री लोकेश जैन ने मुझे कहा कि मनीष जी गोयल फोन नही उठा रहे है। इसके बाद श्री लोकेश जैन ने एक अन्य व्यक्ति को भी मेरे सामने वाट्सऐप कॉल करके मनीष जी गोयल के बारे मे पूछताछ की। अन्त में श्री लोकेश जैन ने मुझे कहा कि मै आपको कल फोन करके पूरी बात बता दूंगा। जिस पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी एवं परिवादी के पास उपस्थित कानि श्री रूपकिशोर नम्बर 74 को हिदायत मुनासिब की गई कि अगले दिन श्री लोकेश जैन द्वारा कॉल करने पर अथवा परिवादी को बुलाकर उसके काम के सम्बंध में होने वाली वार्ता को रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करे।

दिनांक 02.05.2023 को समय 09.40 पी.एम. परिवादी श्री देवीलाल चौधरी ने अपने मोबाईल नम्बर 93521–14545 से मन पुलिस निरीक्षक के मोबाईल नम्बर 95717–44744 पर वाट्सएप कॉल करके बताया कि आज दोपहर बाद श्री रूपकिशोर जी कल मुझ से मिलने की बात कह कर मेरे पास से चले गये थे तथा मै मेरे घर आ गया था। मेरे मोबाईल नम्बर 93521–14545 पर श्री लोकेश जैन ने अपने मोबाईल नम्बर 98290–40751 से समय करीब 09:08 पी.एम. पर वाट्सएप कॉल करके मुझे कहा है कि मेरी श्री मनीष जी गोयल से लम्बी चौडी बातचीत हुई है। आपकी जमीन की एनओसी एवं सरकारी जमीन के कीमतन आवटन वाले दोनों काम एक साथ नही होगे। आपकी जमीन की एनओसी वाला काम हो जायेगा। इसके बदले आपको 12 लाख रूपये देने पडेगे। एनओसी जारी होने के बाद सरकारी जमीन के कीमतन आवटन की फाईल पुनः भेजने पर मै आपका वो काम भी करवा दूंगा। सरकारी जमीन के कीमतन आवटन के बदले कितनी राशि आपको देनी पडेगी, वो मै आपको बाद में ही बता पाउंगा। कल या परसो में मै आपका एनओसी वाला काम करवाकर आपको एनओसी की कॉपी वाट्सएप कर दूंगा। उसके बाद आप मुझे 12 लाख रूपये दे देना। उक्त वार्ता को मैने मेरे मोबाईल फोन का स्पीकर ऑन करके मेरे दूसरे मोबाईल में सेव कर लिया था। जिस पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी को उक्त वार्ता को अपने मोबाईल में सुरक्षित रखने की हिदायत मुनासिब की गई। परिवादी को यह भी हिदातय मुनासिब की गई कि संदिग्ध श्री लोकेश जैन द्वारा एनओसी की कॉपी भेजने, रिश्वत राशि कब देनी है के सम्बंध में बातचीत करने पर मन पुलिस निरीक्षक को सूचित करे।

दिनांक 04.05.2023 समय 06.00 ए.एम. पर कानि. रूपकिशोर नम्बर 74 उपस्थित ब्यूरो कार्यालय आया, डिजिटल वाईस रिकार्डर प्रस्तुत कर हालात बताये, परिवादी श्री देवीलाल द्वारा बताये गये तथ्यों की ताईद की। इसके बाद दिनांक 05.05.2023 को समय 08.46 पी.एम. पर परिवादी श्री देवीलाल चौधरी ने अपने मोबाईल नम्बर 93521–14545 से मन पुलिस निरीक्षक के मोबाईल नम्बर 95717–44744 पर कॉल करके बताया कि श्री लोकेश जैन ने मेरी जमीन के सम्बंध में श्री मनीष जी गोयल, संयुक्त शासन सचिव–प्रथम द्वारा सचिव, नगर विकास न्यास, उदयपुर के नाम जारी एनओसी की कॉपी आज जरिये वाट्सएप प्रेषित की है तथा वाट्सएप कॉल करके पूर्व में की गई अपनी मांग के अनुसरण में सोमवार को मुझे 12 लाख रूपये लेकर बुलाया है। जिस पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी को 12 लाख रूपये की रिश्वत राशि की व्यवस्था करने की हिदायत की गई।

उपरोक्त कार्यवाही से दिनांक 10.04.2023 को परिवादी श्री देवीलाल चौधरी से उसकी भूमि के रिसोर्ट प्रयोजनार्थ नियमन हेतु नगरीय विकास विभाग से एन.ओ.सी. जारी करवाने एवं परिवादी की उक्त जमीन से लगती हुई न्यास भूमि का परिवादी को कीमतन आवटंन करवाने की एवज में श्री लोकेश जैन (प्राईवेट व्यक्ति) द्वारा श्री मनीष गोयल, सयुक्त शासन सचिव– प्रथम, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान– जयपुर, श्री कंजीलाल मीणा, प्रिसिंपल सेकेट्री एवं अन्य के लिये 25 लाख रूपये की रिश्वत की मांग करना एवं इस कार्य के लिये 10 लाख रूपये एडवांस के रूप में मांगना तथा दिनांक 02.05.2023 को श्री लोकेश जैन प्राईवेट व्यक्ति द्वारा परिवादी से उसकी भूमि के रिसोर्ट प्रयोजनार्थ नियमन हेतु नगरीय विकास विभाग से एन.ओ.सी. जारी करवाने की एवज में श्री मनीष गोयल, श्री कंजीलाल मीणा, प्रिसिंपल सेकेट्री एवं अन्य के लिये 12 लाख रूपये की रिश्वत की मांग करने की पुष्टि हुई है। अपनी मांग की अनुशरण में श्री लोकेश जैन ने परिवादी को 12 लाख रूपये की रिश्वत राशि लेकर सोमवार दिनांक 08.05.2023 को बुलाया है। अतः सोमवार दिनांक 08.05.2023 को ट्रेप कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

दिनांक 07.05.2023 को मन पुलिस निरीक्षक द्वारा अपने मोबाईल नम्बर 95717–44744 से परिवादी श्री देवीलाल चौधरी के मोबाईल नम्बर 93521–14545 पर कॉल करने पर परिवादी ने बताया कि मेरे पास अभी सिर्फ 5 लाख रूपये की व्यवस्था ही हो पाई है तथा मै शेष रूपयो की व्यवस्था कल तक कर लूंगा। जिस पर परिवादी को कल दिनांक 08.05.2023 सोमवार को रिश्वत राशि की व्यवस्था कर संदिग्ध श्री लोकेश जैन को देने जाने से पूर्व मन पुलिस निरीक्षक को उदयपुर में ही मिलने की हिदातय मुनासिब की गई।

दिनांक 08.05.2023 को समय 06.00 ए.एम. पर स्वतंत्र गवाह श्री दीपक शर्मा पुत्र स्वं. श्री चींरजी लाल, उम्र 38 साल, निवासी मेान नम्बर 216, तारा नगर ए, झोटवाडा, पुलिस थाना झोटवाडा, जयपुर, हाल–कनिष्ठ अभियंता, कार्यालय जोन–3 जयपुर विकास प्राधिकारण जयपुर एवं श्री मनोज कुमार जैन पुत्र श्री महावीर प्रसाद, उम्र 39 साल, निवासी मकान नम्बर 337–ए, पशुपति नाथ नगर, हल्दी घाटी रोड, प्रताप नगर, जयपुर हाल– कनिष्ठ अभियंता, अधिशाषी अभियंता (दृव्यवती नदी परियोजना प्रकोष्ठ) कार्यालय– जयपुर विकास प्राधिकारण जयपुर पूर्व से पाबन्द शुद्वा उपस्थित ब्यूरो कार्यालय आये। ट्रेप कार्यवाही हेतु पूर्व से पाबन्दशुदा समस्त मुलाजमान उपस्थित कार्यालय आये। मन पुलिस निरीक्षक द्वारा इस गोपनीय कार्यवाही में पूर्व से काम मे लिये जा रहे रिकॉर्डर को कार्यालय की अलमारी से निकालकर अपने पास सुरक्षित हालात में रखा गया। श्री राम कानि. 295 से कार्यालय की अलमारी से फिनोल्पथेलीन पाउण्डर की डिब्बी को निकलवाकर उसे एक पॉलिथीन की थैली में पैक करवाकर सरकारी वाहन नम्बर आरजे 14 यू सी 8798 के डेशबॉर्ड में सुरक्षित रखवाया जाकर कानि श्री राम के हाथो को साफ पानी एवं साबुन से अच्छी तरह से धुलवाया गया। कानि श्री राम को डेशबॉर्ड में रखी फिनोल्पथैलीन पाउण्डर की डिब्बी को स्वयं एवं किसी भी ट्रेप टीम सदस्य द्वारा स्पर्श नही करने देने की हिदायत मुनासिब की गई। दिनांक 08.05.2023 को समय 06.15 ए.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक सुभाष मील मय हमराहीयान श्री पुष्पेन्द्र सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, श्री मांगीलाल उप अधीक्षक पुलिस मय निजी एक पिस्टल मय 20 कारतुस चालक श्री इन्द्रपाल सिंह कानि 618 सरकारी वाहन नम्बर आरजे 14 यू जे 1741 से एवं श्री करण सिंह हैड कानि.67, श्री राजेन्द्र सिंह नम्बर 519, श्री रिजवान अहमद कानि. 167, श्री विरेन्द्र कुमार कानि. 212, श्रीराम कानि. 295, श्री रूपकिशोर कानि 74, श्री हरकेश कानि. 69, गवाहान दीपक शर्मा व श्री मनोज कुमार जैन चालक श्री हर सहाय कानि नम्बर 237 वाहन सरकारी नम्बर आरजे 14 यू सी 8798 से गोपनीय कार्यवाही हेतु मय ट्रेप बॉक्स मय लैपटॉप, प्रिन्टर के ब्यूरो मुख्यालय से उदयपुर के लिये रवाना होकर समय 11.45 ए.एम. पर परिवादी के बतायेनुसार अतिथि गृह, एम.एल.एस.यू, उदयपुर पहुंच जहा पर परिवादी श्री देवीलाल चौधरी मौजुद मिला। इसके बाद मन पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनों गवाहान का परिचय परिवादी श्री देवीलाल चौधरी से करवाया गया तथा उक्त दोनों गवाहान को परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पढवाया जाकर कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की

सहमति चाही गई, जिस पर उक्त दोनों गवाहान ने पढकर, समझकर व कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की अपनी अपनी सहमति प्रदान की तथा परिवादी द्वारा प्रस्तुत मूल प्रार्थना–पत्र पर अपने–अपने हस्ताक्षर किये। इसके बाद मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री देवीलाल चौधरी को संदिग्ध श्री लोकेश जैन (प्राईवेट व्यक्ति) को रिश्वत में दिये जाने वाली रिश्वती राशि 12 लाख रूपये पेश करने बाबत कहा गया तो परिवादी ने बताया कि मेरे से केवल 5 लाख रूपयो की रिश्वत राशि की ही व्यवस्था हो पाई है। मैनें सुन एवं पढ रखा है कि ए.सी.बी. द्वारा बडी रिश्वत राशि के प्रकरणो में डमी राशि का भी उपयोग किया जाता है। इसलिये मै 5 लाख रूपये भारतीय चलन मुद्रा के अलावा 7 लाख रूपये की भारतीय मनोंरजन बैक के समान नम्बरी नोटो की डमी राशि बाजार से लेकर आया हूँ। इसके बाद परिवादी ने अपने पास से पांच–पांच सौ रूपये के 1000 नोट (10 गड्डियां) कुल 5 लाख रूपये की भारतीय चलन मुद्रा एवं 7 लाख रूपयो की डमी राशि अपने पास से निकाल कर मन् पुलिस निरीक्षक सुभाष मील, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू. द्वितीय, जयपुर को पेश किये। पांच–पांच सौ रूपये के 1000 नोट (10 गड्डियां) कुल 5 लाख रूपये की भारतीय चलन मुद्रा के नोटो का विवरण नोट किया गया।

इसके अलावा पांच पांच सौ रूपयो के 100–100 नोटो की 14 गडियां कुल 7 लाख रूपयो के भारतीय मनोरंजन बैक के समान नम्बरी DUK616850 डमी नोट है। उक्त भारतीय चलन मुद्रा के पांच पांच सौ रूपयो के 1000 नोटो के नम्बर मन् पुलिस निरीक्षक एवं उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान के द्वारा पुनः चैक किये गये तो नोटों के नम्बर उपरोक्तानुसार ही पाये गये। इसके बाद श्री राम कानि नम्बर 295 से सरकारी वाहन नम्बर 14 यूसी 8798 के डैशबॉर्ड में पूर्व से सुरक्षित रखवाई हुई फिनोफ्थलीन पॉउडर की डिब्बी निकलवाकर एक टेबल पर एक अखबार बिछवाया जाकर उस अखबार पर उपरोक्त भारतीय चलन मुद्रा के नम्बरी नोटो एवं डमी राशि के नोटो पर फिनोफ्थलीन पॉउडर लगवाया गया एवं एक पीले रंग की थैली जिस पर DYNAMIC SHOE लिखा हुआ है, के उपर भी अच्छी तरह से फिनोफ्थलीन पॉउडर लगवाया गया। उसके बाद परिवादी श्री देवीलाल चौधरी की जामा तलाशी गवाह श्री दीपक शर्मा से लिवायी गयी, तो परिवादी के पास मोबाइल फोन एवं गाडी की चाबी के अलावा कोई दस्तावेज/राशि/वस्तु नही रहने दी गयी। परिवादी के शोल्डर बैंग की तलाशी भी गवाह श्री दीपक शर्मा से लिवायी गयी तो बैग में कोई दस्तावेज/राशि/वस्तु नही पाई गई। तत्पश्चात उक्त फिनोफ्थलीन पॉउडर युक्त नम्बरी नोटों एवं डमी राशि को फिनोफ्थलीन युक्त पीले रंग की थैली में श्री राम कानि नम्बर 295 से रखवाकर, पीले रंग की थैली को परिवादी के शोल्डर बैग में रखवाया गया। फिनोफ्थलीन पॉउडर की डिब्बी को श्री राम कानि. नम्बर 295 से वापस पॉलिथिन में पैक करवाकर सुरक्षित श्री राम कानि. के पास रखवायी गयी। उसके पश्चात श्री करण सिंह हैड कानि 67 से एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी मंगवाया जाकर उसमें ट्रेप बाक्स से सोडियम कार्बोनेट की शीशी निकलवाकर उसमें से एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर साफ पानी से भरे कांच के गिलास में डलवाकर घोल तैयार करवाया गया, जो रंगहीन रहा, जिसको सभी को दिखाया गया। इसके पश्चात उक्त घोल में श्री राम कानि नम्बर 295 की फिनोफ्थलीन पावडर युक्त दांहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया। जिस पर परिवादी श्री देवीलाल चौधरी व स्वतंत्र गवाहान को दिखाकर समझाया गया कि यदि आरोपी उक्त थैली एवं पॉउडर लगे नोटों को छुयेगा तो उसके हाथों में फिनोफ्थलीन पॉउडर लग जावेगा और इसी प्रकार तैयार किये गये धोल में उसके हाथ धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी या हल्का गुलाबी हो जायेगा। जिससे यह साबित होगा कि संदिग्ध ने रिश्वती राशि को प्राप्त किया है। इसके बाद उक्त गिलास के गुलाबी धोल को श्री राम कानि. से बाहर फिंकवाया गया। जिस अखबार पर नोटों को रख कर फिनोफ्थलीन पॉउडर लगाया गया था, उस अखबार को जलवाया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री देवीलाल चौधरी को हिदायत दी गयी कि वह रिश्वत देने के बाद अपने सिर पर हाथ फेर कर या मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाइल नं. 95717–44744 पर अपने मोबाइल से मिस कॉल या कॉल कर गोपनीय ईशारा करें। इसके पश्चात गवाहान को हिदायत की गई कि वे यथा सम्भव परिवादी के आस–पास रहकर परिवादी व आरोपी के मध्य होने वाली वार्तालाप को सुनने व रिश्वत के लेन–देन को देखने का प्रयास करें तथा परिवादी को हिदायत की गई कि वो संदिग्ध व्यक्ति को रिश्वत राशि देने के पहले व पश्चात ना तो उससे हाथ मिलाये और यदि आवश्यक हो तो हाथ जोडकर नमस्कार करें। परिवादी को यह भी हिदायत की गई कि वह ध्यान

रखे कि संदिग्ध कौन से हाथ से पैसे ले रहा है और वह गिनता है या नहीं तथा लेने के बाद रिश्वत राशि को कहां पर रखता है। तत्पश्चात श्री राम कानि. के दोनों हाथों को साबुन एवं साफ पानी से धुलवाया गया। इसके बाद परिवादी, गवाहान एवं ट्रैप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। मन पुलिस निरीक्षक द्वारा भी अपने हाथ साफ पानी व साबुन से धोये गये तथा ट्रैपबाक्स में रखी खाली शिशियां, ढक्कन, गिलास चम्मच आदि को साबुन व साफ पानी से धुलवाया गया। परिवादी को छोड़कर सभी की आपस में एक दूसरे की जामा तलाशी लिवाई गई तथा सभी के पास कोई आपत्ति जनक वस्तु नहीं रहने दी गई। मन पुलिस निरीक्षक के पास सुरक्षित रखे डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को निकालकर श्री रूपकिशोर कानि 74 को सुपुर्द कर हिदायत दी गई कि जब परिवादी संदिग्धो को रिश्वत राशि देने जाये, तब रिकॉर्डर को चालु कर परिवादी को सुपुर्द करे। परिवादी श्री देवीलाल चौधरी को हिदायत दी गई कि रिश्वत राशि लेन देन के समय होने वाली वार्ता को रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करे। श्री राम कानि. 295 को फिनोफ्थलीन पॉउडर डिब्बी को सुरक्षित यूनिट कार्यालय जयपुर पहुंचकर कार्यालय की अलमारी में रखने की हिदायत मुनासिब कर रवाना यूनिट कार्यालय, जयपुर किया गया। उक्त कार्यावाही की फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट व दृष्टांत फिनोफ्थलीन पॉउडर एवं सोडियम कार्बोनेट तथा सुपुर्दगी डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर पृथक से तैयार की जाकर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल कार्यावाही की गई।

इसके बाद समय 03.19 पी.एम. पर परिवादी श्री देवीलाल चौधरी ने अपने मोबाईल नम्बर 9352114545 से श्री लोकेश जैन के मोबाईल नम्बर 9829040751 पर वाट्सएप कॉल करने पर श्री लोकेश जैन ने परिवादी से कहा कि मै अभी रजिस्ट्री ऑफिस हू। आप सामान लेकर यूआईटी ऑफिस आ जाओ। मै आप को यूआईटी मिलता हूँ। उक्त वाट्सएप वार्ता को परिवादी का फोन का स्पीकर ऑन करवाकर कानि श्री रूपकिशोर नम्बर 74 से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करवाया गया। इसके कुछ समय पश्चात परिवादी श्री देवीलाल चौधरी के मोबाईल नम्बर 9352114545 पर श्री लोकेश जैन ने अपने मोबाईल नम्बर 9829040751 से वाट्सएप कॉल करके परिवादी को कहा कि मेरे रजिस्ट्री का काम है। आप घण्टे भर बाद आ जाओ। उक्त वाट्सएप वार्ता को परिवादी का फोन का स्पीकर ऑन करवाकर कानि श्री रूपकिशोर नम्बर 74 से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करवाया गया।

इसके बाद समय 04.05 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक सुभाष मील मय स्वतंत्र गवाहान, कानि श्री रूपकिशोर 74 के परिवादी श्री देवीलाल चौधरी के साथ उसकी निजी गाडी से, श्री पुष्पेन्द्र सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय श्री मांगीलाल, उप अधीक्षक पुलिस, श्री राजेन्द्र सिंह कानि 519 चालक श्री इन्द्रपाल के सरकारी वाहन आरजे 14 यूजे 1741 से एवं शेष ट्रेप टीम सदस्य मय ट्रेप बाक्स मय सरकारी लेपटॉप व प्रिन्टर मय चालक श्री हरसहाय सरकारी वाहन नम्बर आरजे 14 यूसी 8798 से ट्रेप कार्यवाही हेतु अतिथि गृह, एम.एल.एस.यू, उदयपुर से रवाना यूआईटी, उदयपुर हुये। समय 04.23 पी.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के कार्यालय यूआईटी, उदयपुर चौराहा के पास पहुचां। जहां पर परिवादी ने अपनी निजी गाडी यूआईटी के मैन गेट के बाहर खडी की एवं दोनो सरकारी वाहनों को यूआईटी सर्किल से सहेलीयों की बाडी रोड पर खडी करवाकर सभी ट्रेप टीम सदस्य अपनी अपनी उपस्थिति छुपाते हुये यूआईटी के मैन गेट के बाहर मूकिम हुये। समय 04:32 पी.एम एवं 5:19 पी.एम. पर श्री लोकेश जैन ने अपने मोबाईल नम्बर 9829040751 से परिवादी श्री देवीलाल चौधरी के मोबाईल नम्बर 9352114545 पर वाट्सएप कॉल करके कहा कि मै यूआईटी ऑफिस पहुंच रहा हूँ। समय 05:28 पी.एम पर श्री लोकेश जैन ने अपने मोबाईल नम्बर 9829040751 से परिवादी श्री देवीलाल चौधरी के मोबाईल नम्बर 9352114545 पर वाट्सएप कॉल करके कहा कि मै यूआईटी ऑफिस के सामने चाय की थडी पर खडा हूँ। आप आ जाओ। जिस कानि श्री रूपकिशोर से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालु करवाकर, परिवादी को सुपुर्द कर, परिवादी को संदिग्ध श्री लोकेश जैन के पास रवाना किया गया। मन पुलिस निरीक्षक एवं ट्रेप टीम सदस्य परिवादी के ईशारे हेतु मूकिम रहे।

परिवादी ने यूआईटी के मैन गेट के सामने की साईड फुटपाथ पर खडे एक नीली जीन्स एवं हल्के गुलाबे रंग की लाईनदार टी शर्ट पहने काली दाढी वाले व्यक्ति के पास जाकर बातचीत की। तत्पश्चात दोनों बातचीत करते हुये यूआईटी के मैन गेट पर परिवादी की निजी गाडी के पास पहुंचे। परिवादी अपनी निजी गाडी की ड्राईवर सीट पर एवं दूसरा व्यक्ति परिवादी के बगल की सीट पर बैठ गया। परिवादी ने अपनी गाडी स्टार्ट की एवं दोनों गाडी में बातचीत करते हुये यूआईटी सर्किल से सहेलीयों की बाडी रोड पर करीब 60–70 मीटर चलकर परिवादी ने अपनी गाडी रोड के बाई तरफ दबाकर खडी कर दी। मन पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान एवं ट्रेप टीम सदस्यों के पैदल पैदल ही परिवादी की गाडी के पीछे चलते रहे एवं दोनों को देखते रहे। परिवादी द्वारा रिश्वत राशि के नोटो की पीले रंग की थैली बगल की सीट पर बैठे व्यक्ति को देने पर उस व्यक्ति ने पीले रंग की थैली में रखी नोटो की गडियों को गिनकर अपने

पास रख लिया एवं परिवादी की गाडी से नीचे उतरने पर परिवादी ने समय 05:39 पी.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक को गोपनीय ईशारा किया। जिस पर मन पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान एवं ट्रेप टीम सदस्यो के परिवादी की गाडी के पास पहुंचा। जहां परिवादी से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर उसको बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने अपनी गाडी के आगे के बगल के गेट के पास नीचे खडे एक नीली जीन्स एवं हल्के गुलाबे रंग की लाईनदार टी शर्ट पहने काली दाढी वाले व्यक्ति जिसके दाहिने हाथ में एक पीले रंग की थैली थी, की तरफ ईशारा कर बताया कि यही श्री लोकेश जैन है जिसने अभी अभी मेरे से मेरी जमीन के रिसोर्ट प्रयोजनार्थ नियमन हेतु नगरीय विकास विभाग से जारी करवाई गई एन.ओ.सी. की एवज में पीले रंग की थैली में रखे 12 लाख रूपये की रिश्वत राशि की गड्डियों को अपने दोनो हाथो से गिनकर, रिश्वत राशि की पीले रंग की थैली को अपने दांहिने हाथ से पकड रखा है। जिस पर परिवादी की गाडी के आगे के बगल के गेट के पास नीचे खडे एक नीली जीन्स एवं हल्के गुलाबे रंग की लाईनदार टी शर्ट पहने काली दाढी वाले व्यक्ति जिसके दाहिने हाथ में एक पीले रंग की थैली थी, का दांहिना हाथ श्री राजेन्द्र सिंह कानि. 519 एवं बाया हाथ स्वतंत्र गवाह श्री दीपक शर्मा से कलाई से पकडवाये गये। उक्त व्यक्ति के दांहिने हाथ से पकडी हुई पीले रंग की थैली को स्वतंत्र गवाह श्री मनोज जैन से लिवाया जाकर उसके पास सुरक्षित रखवाया गया। मन पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वयं, स्वतंत्र गवाहान एवं ट्रेप टीम सदस्यों का परिचय देकर उस व्यक्ति से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री लोकेश जैन पुत्र श्री शांति लाल जैन, उम्र 39 साल, जाति जैन, निवासी– प्लॉट नम्बर 19, माधव नगर, शोभागपुरा, उदयपुर बताया। इस पर आरोपी श्री लोकेश जैन से परिवादी से रिश्वत राशि प्राप्त करने के बारे में पूछा तो उसने कहा कि मेरा श्री देवीलाल जी से प्लॉट का सौदा हुआ है जिसकी यह राशि मैने ली है। इसके बाद परिवादी ने आरोपी श्री लोकेश जैन की उक्त बातो का खण्डन करते हुये बताया कि श्री लोकेश जैन ने मेरी भूमि के रिसोर्ट प्रयोजनार्थ नियमन हेतु नगरीय विकास विभाग से एन.ओ.सी. जारी करवाने एवं मेरी उक्त जमीन से लगती हुई न्यास भूमि का कीमतन आवटंन श्री मनीष गोयल, सयुक्त शासन सचिव– प्रथम, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान– जयपुर एवं अन्य से करवाने की एवज में दिनांक 10.04.2023 को 25 लाख रूपये की रिश्वत की मांग कर इस कार्य के लिये 10 लाख रूपये एडवांस के रूप में मांगे थे। इसके बाद दिनांक 02.05.2023 को श्री लोकेश जैन द्वारा मेरे से मेरी भूमि के रिसोर्ट प्रयोजनार्थ नियमन हेतु नगरीय विकास विभाग से एन.ओ.सी. जारी करवाने की एवज में श्री मनीष गोयल एवं अन्य के लिये 12 लाख रूपये की रिश्वत की मांग की थी। जिसके अनुशरण में आज मेरे से 12 लाख रूपये प्राप्त कर अपने पास रख लिये। इसके बाद श्री लोकेश जैन को तसल्ली देकर रिश्वत राशि प्राप्त करने के सम्बंध में पुनः पूछा गया तो श्री लोकेश जैन ने बताया कि उक्त रूपये मैने श्री मनीष जी गोयल एवं यूडीएच के अन्य अधिकारियो का नाम लेकर मैने स्वयं के स्तर पर अपने लिये ही लिए है। घटनास्थल मुख्य सडक पर होने के कारण काफी लोगो की भीड एकत्रित हो गई। जिस पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा यूआईटी सर्किल के पास ही स्थित एस.यू. एसीबी चौकी उदयपुर पर पहुंचकर अग्रिम कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री लोकेश जैन को दोनों हाथ पकडवाये हुये ही परिवादी की गाडी की पिछली सीट पर बैठाकर मन पुलिस निरीक्षक परिवादी की गाडी से एवं शेष जाप्ता दोनों सरकारी वाहनो से रवाना होकर समय 05:45 पी.एम पर एस.यू. एसीबी चौकी उदयपुर पहुंचा। जहां पर श्री करण सिंह हैड कानि 67 से ट्रेप बाक्स से दो साफ कांच का गिलास निकलवाकर उनमें साफ पानी डलवाकर उनमें एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डलवाकर मिश्रण तैयार करवाकर उपस्थितगणों को दिखाया गया तो घोल का रंग रंगविहीन था। उसके पश्चात एक कांच के ग्लास के धोल में आरोपी श्री लोकेश जैन के दांहिने हाथ की अगुलियों एवं अगंठे को डूबोकर धुलवाया गया तो मिश्रण का रंग गहरा गुलाबी हो गया, जिसे दो साफ कांच की शीशीयों में आधा–आधा भरवाकर मार्क कमशः RH–1 व RH–2 से चिन्हित किया गया। उक्त दोनो शीशीयों को सीलचीट कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। इसी प्रकार आरोपी श्री लोकेश जैन के बांये हाथ की अगुलियों एवं अगुठे को दूसरे ग्लास के घोल में डूबोकर घुलवाया गया तो मिश्रण का रंग गहरा गुलाबी हो गया। जिसे दो साफ कांच की शीशीयों में आधा आधा भरवाकर मार्क कमशः LH–1 व LH–2 से चिन्हित किया गया। उक्त दोनो शीशीयों को सीलचिट कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। उच्चाधिकारियों के आदेशानुसार आरोपी श्री लोकेश जैन के निवास स्थान प्लॉट नम्बर 19, माधव नगर, शोभागपुरा, उदयपुर की खाना तलाशी हेतु पुलिस निरीक्षक श्री आदर्श कुमार एस.यू उदयपुर को मय टीम रवाना किया गया था। जिन्होने उक्त पते पर पहुंचकर जरिये मोबाईल बताया कि इस पते पर आरोपी के माता पिता निवास करते है। इस पर आरोपी श्री लोकेश जैन से पुनः पूछने पर उसने बताया कि मै वर्तमान में फ्लेट नम्बर 503, आर्ची अरिहन्त अपार्टमेंट, शोभागपुरा, जे के पारस हॉस्पीटल के पास, पुलिस थाना सुखेर, जिला उदयपुर पर निवास करता हुँ। जिस पर आरोपी श्री लोकेश जैन का उक्त पता खाना तलाशी हेतु श्री आदर्श कुमार एसयू उदयपुर को जरिये मोबाईल बताया गया। इसके पश्चात स्वतंत्र गवाह श्री मनोज कुमार जैन के पास सुरक्षित रखवाई गई पीले रंग की थैली को श्री मनोज कुमार जैन से चैक करवाया गया तो

उसमें भारतीय चलन मुद्रा के पांच–पांच सौ रूपयो के नोटो की 10 गड्डियां एवं भारतीय मनोंरजन बैक के पांच पांच सौ रूपयो के डमी नोटो की 14 गड्डिया निकली। उक्त भारतीय चलन मुद्रा के पांच–पांच सौ रूपयो के नोटो की 10 गड्डियों के नोटों के नम्बरों का मिलान दोनों गवाहान से फर्द पेशकशी रिश्वत राशि से करवाया गया तो उक्त पांच पांच सौ रूपयो के 1000 नोटो के नम्बर पेशकशी रिश्वत राशि में अंकित नम्बरो से हुबहू पाये गये एवं भारतीय मनोंरजन बैक के पांच–पांच सौ रूपयो के डमी नोटो की 14 गड्डियो का मिलान भी फर्द पेशकशी रिश्वत राशि से किया गया तो उक्त डमी नोटो की 14 गड्डियो के नम्बर भी फर्द पेशकशी रिश्वत राशि के समान DUK616850 हुबहु पाये गये। बरामदशुदा भारतीय चलन मुद्रा के 5 लाख रूपयो की रिश्वत राशि के पांच पांच सौ रूपयो के एक हजार नोटों के क्रमशः 400, 300 एवं 300 नोटों के तीन पैकेट बनाकर तीनो पैकेट को पृथक–पृथक सफेद कागज की चिट लगाकर सील मोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। इसी प्रकार भारतीय मनोंरजन बैक के पांच–पांच सौ रूपयो के डमी नोटो की 14 गड्डियो के 1400 नोटो के 700–700 नोटो के दो पैकेट बनाकर दोनो पैकेट को पृथक पृथक सफेद कागज की चिट लगाकर सील मोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। इसके बाद पीले रंग की थैली जिस पर DYNAMIC SHOE लिखा हुआ है, जिससे उक्त रिश्वत राशि बरामद हुई है, पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर एक सफेद कपडे की थैली में रख कर थैली पर मार्का–CB अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शील्ड मोहर कर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। चुंकि कार्यालय समय पूर्ण हो गया था। अतः परिवादी के कार्य से सम्बंधित पत्रावली/रिकॉर्ड आईन्दा सम्बंधित विभाग से प्राप्त करने का निर्णय लिया गया। आरोपी श्री लोकेश जैन की जामा तलाशी गवाह श्री दीपक शर्मा से लिवाई गई तो आरोपी की पहनी हुई जीन्स की दांहिनी जेब से पांच पांच सौ रूपये के 11 नोट कुल 5500 रूपये मिले। जिनके बारे में पूछने पर श्री लोकेश जैन ने बताया कि ये पैसे मेरी जेब खर्ची के है। जिस पर उक्त 5500 रूपयो को सुरक्षार्थ कब्जा ए.सी.बी लिया गया। आरोपी की पहनी हुई जीन्स की बांई जेब से एक मोबाईल आईफोन 14प्लस मिला। इसके अलावा जामा तलाशी में अन्य कोई वस्तु/सामान ना तो बरामद हुआ ना ही कब्जा एसीबी लिया गया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द हाथ धुलाई फर्द हाथ धुलाई, बरामदगी रिश्वती राशि आरोपी श्री लोकेश जैन की पृथक से तैयार कर शामिल पत्रवली की गई।

इसके बाद मन पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष दौराने ट्रेप कार्यवाही आज दिनांक 08.05.2023 को आरोपी श्री लोकेश जैन पुत्र श्री शांति लाल जैन, उम्र 39 साल, जाति जैन, निवासी– प्लॉट नम्बर 19, माधव नगर, शोभागपुरा, उदयपुर हाल फ्लेट नम्बर 503, आर्ची अरिहन्त अपार्टमेंट, शोभागपुरा, जे के पारस हॉस्पीटल के पास, पुलिस थाना सुखेर, जिला उदयपुर (प्राईवेट व्यक्ति) की जामा तलाशी के दौरान मोबाईल आईफोन प्लस 14 बरंग काला जिस पर काले रंग का कवर लगा हुआ है, अवलोकन किया जाने के लिये आरोपी श्री लोकेश जैन के बतायेनुसार मोबाईल एपल कम्पनी का पासवर्ड 999999 लगाये जाने पर उक्त मोबाईल ऑपन हुआ। जिनमें आईफोन के IMEI 353346543411912, IMEI2- 353346543606040 EID NO 89049032007108882600142843278781 जिसमें मोबाईल नम्बर 9829040751 की सिम लगी हुई। उक्त मोबाईल अवलोकन किया तो आरोपी श्री लोकेश जैन के मोबाईल फोन में श्री कुंजीलाल मीणा आईएएस, श्री मनीष गोयल आरएएस, हरिमोहन यूडीएच एवं परिवादी श्री देवीलाल चौधरी के साथ आपस में कि गई वाट्सऐप कॉल, चैट, मैसेज व परिवादी की जमीन की एनओसी की कॉपी एवं अन्य दस्तावेजो के आपस में सेड किये गये मैसेज के अलग अलग स्क्रीन शॉट आरोपी के मोबाईल में लिये जाकर एलबम्ब बनाया जाकर उक्त मोबाईल को लेपटॉप से कनेक्ट कर अपने नियत्रंरण में रखा जाकर बिना किसी छेडछाड एवं काटछाट किये उक्त स्क्रीन शॉट के प्रिन्ट निकाले जाकर प्रत्येक पेंज पर गवाहान एवं आरोपी श्री लोकेश जैन के हस्ताक्षर करवाये जाकर एफ.एस.एल से परीक्षण करवाये जाने हेतु आरोपी के मोबाईल आईफोन को एक सफेद कपडे की थैली में रखकर मार्क LM अंकित कर सील्डमोहर कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत जरिये फर्द जप्त कर कब्जा एसीबी लिया गया।

दिनांक 09.05.2023 को मन पुलिस निरीक्षक द्वारा मौतविरान के समक्ष रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान दिनांक 10.04.2023 व दिनांक 02.05.2023 को एवं रिश्वत लेन देन के दौरान दिनांक 08.05.2023 को आरोपी श्री लोकेश जैन पुत्र श्री शांति लाल जैन, उम्र 39 साल, जाति जैन, निवासी– प्लॉट नम्बर 19, माधव नगर, शोभागपुरा, उदयपुर (प्राईवेट व्यक्ति) एवं परिवादी श्री देवीलाल चौधरी के मध्य आमने सामने हुई वार्ताऐ जिन्हे परिवादी श्री देवी लाल द्वारा ब्यूरो के डिजीटल वाईस रिकार्डर में रिकॉर्ड किया गया एवं दिनांक 02.05.2023 को आरोपी श्री लोकेश जैन एवं परिवादी के मध्य हुई वाट्सएप कॉल वार्ता जो परिवादी के मोबाईल फोन में सेव है।

आरोपी की उक्त रिकार्ड वार्ता का मिलान आरोपी की नमूना आवाज से करवाया जाना है। अतः आरोपी श्री लोकेश जैन (प्राईवेट व्यक्ति) को उपरोक्त गवाहन के समक्ष अपनी आवाज का नमूना देने हेतु कहा तो उन्होने अपनी आवाज का नमूना देने से स्पष्ट इन्कार किया। इस पर आरोपी को पुनः गवाहान के समक्ष बताया कि आप अपनी आवाज का नमूना नहीं देगें तो यह माना जाएगा कि उक्त वार्ताओं में एक रिकॉर्ड वार्ता आपकी ही है। इस पर भी आरोपी ने अपनी आवाज का नमूना देने से स्पष्ट इन्कार किया। जिसकी फर्द नमूना आवाज पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। मन पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय परिवादी श्री देवीलाल चौधरी के दैनिक भास्कर कार्यालय के सामने, सहेलीयों की बाडी रोड, उदयपुर पहुंचकर परिवादी श्री देवीलाल चौधरी की निशादेही एवं स्वतंत्र गवाहान श्री दीपक शर्मा एवं श्री मनोज कुमार जैन की मौजुदगी मे घटनास्थल का नजरी निरीक्षण कर नक्शा मौका घटनास्थल व हालात की फर्द पृथक से तैयार कर शामिल कार्यवाही की गई।

इसके बाद परिवादी व स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में रिश्वत मांग सत्यापन के समय दिनांक 10.04.2023, 02.05.2023 को परिवादी श्री देवीलाल चौधरी एवं आरोपी श्री लोकेश जैन (प्राईवेट व्यक्ति) के मध्य आमने सामने हुई वार्तायें एवं दिनांक 08.05.2023 को रिश्वत लेन देन के समय परिवादी श्री देवीलाल चौधरी एवं आरोपी श्री लोकेश जैन (प्राईवेट व्यक्ति) के मध्य आमने सामने हुई वार्ता जिनको परिवादी द्वारा कार्यालय के डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया था। उक्त वार्ताऐ विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में लगाये गये मेमोरी कार्ड में दर्ज है। दिनांक 02.05.2023 को आरोपी श्री लोकेश जैन द्वारा अपने मोबाईल नम्बर 9829040751 से परिवादी के मोबाईल नम्बर 9352114545 पर की गई वाटसएप कॉल वार्ता जो परिवादी के मोबाईल फोन में सेव है। परिवादी के मोबाईल में सेव उक्त वार्ता को परिवादी के मोबाईल फोन को विभागीय लेपटॉप से जोडकर, कॉपी कर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड में सेव किया गया। मेमोरी कार्ड में दर्ज उक्त वार्ताओं को दोनों स्वतंत्र गवाहान व परिवादी श्री देवीलाल चौधरी की मौजूदगी में रिकॉर्डर को लैपटॉप से जोडकर एक फॉल्डर में सेव किया गया। उक्त वार्ताओ को बारी–बारी से सुना जाकर वार्ता रूपांतरण तैयार कर शब्द ब शब्द मिलान किया गया, तो मेमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्तायें, वार्ता रूपांतरण के अनुसार होनी पाई गई। उक्त रिकार्ड वार्ताओं में परिवादी श्री देवीलाल चौधरी द्वारा अपनी तथा आरोपी श्री लोकेश जैन प्राईवेट व्यक्ति की आवाज की पहचान की गई। उक्त वार्ताओं की सी.डी. बनाने हेतु सात खाली सी.डी. मंगवायी जाकर सातो सी.डी. को खाली होना सुनिश्चित कर लैपटॉप की सहायता से बारी–बारी से फोल्डर में सेव रिकार्ड वार्ताओं को सातो सी.डी. में बर्न किया गया। सातो सी.डी. को बारी बारी से लैपटॉप में चलाकर सुना गया तो सातो में उक्त वार्तायें रिकार्ड होनी पाई गई। इसके पश्चात सातो सी.डी. पर क्रमशः मार्का A-1, A-2, A-3, A-4, A-5, A-6, A-7 अंकित कर गवाहान व परिवादी के हस्ताक्षर करवाये गये। मार्का A-1, A-2, A-3, A-4, A-5, A-6 सी.डी. को पृथक–पृथक सी.डी. कवर मे रखकर, पृथक–पृथक सफेद कपड़े की थैलीयों में रख कर थैलीयों पर क्रमशः मार्का A-1, A-2, A-3, A-4, A-5, A-6 अंकित किये जाकर थैलियों पर गवाहान व परिवादी के हस्ताक्षर करवाये जाकर सील मोहर किया जाकर कब्जा पुलिस लिया गया। मार्का A-7 सी.डी. को अनुसंधान हेतु खुला रखा गया। मेमोरी कार्ड (SanDisk 32GB) जिनमें उक्त वार्तायें रिकार्ड है को एक माचिस की डिब्बी में रखकर, डिब्बी को एक सफेद कपडे की थैली मे रख कर मार्का SD अंकित किया जाकर थैली पर गवाहान व परिवादी के हस्ताक्षर करवाये जाकर सील मोहर किया जाकर कब्जा पुलिस लिया गया। फर्द ट्रांसकिप्ट वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 10.04.2023, 02.05.2023 तथा परिवादी के मोबाईल में सेव वार्ता दिनांक 02.05.2023 एवं रिश्वत लेन देन वार्ता दिनांक 08.05.2023, जप्ति मेमोरी कार्ड तथा तैयार वार्ता सी.डी. पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई।

ट्रेप कार्यवाही के दौरान परिवादी श्री देवीलाल व आरोपी श्री लोकश जैन के मध्य वक्त रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 10.04.2023 को आमने सामने हुई अन्य वार्ताओ के अलावा लोकेश जैन कहता है कि "**पच्चीस लाख का खर्चा है बीस से पच्चीस**" इस पर परिवादी देवीलाल कहता है कि "**बीस से पच्चीस लाख में मतलब बिलानाम वाली भी कर देगें**" इस पर लोकेश जैन कहता है कि " **सब आ जायेगा पच्चीस में टोटल ही हो जायेगा**" इस पर देवी लाल कहता है कि "**पच्चीस लाख में टोटल काम हो जायेगा ? यार उन मनीष को कहो थोडा बहुत कम करें**" इस पर लोकश जैन कहता है कि "**उनके हाथ में कुछ नहीं है बेचारे के, उसके उपर बैठे है कुंजीलाल और मंत्री साहब आ गये क्या मिल के आता हूं बहुत दिन हो गये**" इस पर देवीलाल कहता है कि "**कुंजीलाल जी भी लेगा**" इस पर लोकेश कहता है कि "**हण्डरेड परसेंट लेगा**

कुंजीलाल जी" इसके अलावा दिनांक 02.05.2023 को परिवादी श्री देवीलाल व आरोपी श्री लोकेश जैन के मध्य आमने सामने हुई वार्ता में अन्य बातों के अलावा श्री लोकेश जैन कहता है कि "मनीष जी गोयल से आपका मामला मंत्री जी तक जायेगा, सरकारी जमीन का चक्कर है ना, मंत्री का मामला थोडा भारी है, एक बार वापस मनीष जी को वाट्सएप करना है" इसके बाद अन्य बातों के अलावा परिवादी देवीलाल कहता है कि " हां हां नही मनीष जी ने मुझे कहा कि देखो मैने तो कर दिया ये ऑब्जेक्शन लगाया है आपने उन्होने इसलिये उन्होने ही तो भेजा मेरे को जाओ आप उनसे मिलो तो फिर मै चला गया उनसे मिलने अपने कुंजीलाल जी से, फिर कुंजीलाल जी ने फिर मेरे को कहा ऐसा है तो वो जेएस कर देगा यू कहा फिर मै, फिर कुंजीलाल जी ने फिर मेरे को कहा ऐसा है तो वो जेएस कर देगा यू कहा फिर मै" इसके बाद अन्य बातों के अलावा लोकेश जैन कहता है कि " आप बोलो उनको क्या कहु कि भाई इनकी एनओसी भेज दो ये दे देगे इतने बाकी तुम जानो तुम्हारा काम जाने बाद में तो उनको यू कहूगा, इस पर परिवादी कहता है कि "तब आप बताओ इसका मै क्यू कहू आप जो कहोगे वो करना है मेरे को तो यार" इस पर आरोपी लोकेश कहता है कि "नही नही मै तो क्या कहु बारह की उनको बारहा, तब आप चलो भाई इन इन्टरनल बातो का कोई मतलब नही है किसने क्या बोला, नही बोला आप तो आपकी इच्छा बता दो मै उनको बोल दू कुंजीलाल जी को कि ये है आप इनकी साईन करके ओर भेजो फोन आया अभी मेरे से बात हुई, हां इस अमाउंट के लिये बोलू हां करू बोलू उनको, कल मंगवा देता हू लेटर कल नही तो परसो मंगवा देता हू अभी मै फोन करता हू उनको, पेमेट तो आ जायेना तब दे देना बात हो गई तो कोई दिक्कत नही है" इसके पश्चात दिनांक 08.05.2023 को परिवादी देवीलाल व आरोपी श्री लोकश जैन के वक्त रिश्वत लेन देने के समय आमने सामने हुई अन्य वार्ताओं के अलावा परिवादी देवीलाल कहता है कि " जो अपनी बात हूई थी ना अपनी वो यह बारह लाख रूपये कम्पलीट दे रहा हूं" इस पर लोकेश कहता है "हां" इस पर परिवादी कहता है कि " वो दे रहा हूं अब देखों आगे का काम आपको कराना है" इस पर लोकेश कहता है कि "है" इस पर परिवादी कहता है कि "गिन लो"।

अब तक की कार्यवाही रिश्वत मांग सत्यापन/रिश्वत लेन देन वार्ताओ, आरोपी श्री लोकेश जैन के मोबाईल में आरोपीगण श्री कुंजीलाल मीणा, श्री मनीष गोयल एवं हरिमोहन मीणा के मोबाईल नम्बर सेव पाया जाना एवं उक्त मोबाईल नम्बरो से आरोपी श्री लोकेश जैन से इनकी वाट्सएप पर वाईस कॉल वार्ता/चैट/मैसेज एवं हरिमोहन मीणा के द्वारा परिवादी की जमीन से सम्बंधित एनओसी जारी करने का आदेश परिवादी के मोबाईल पर जरिये वाट्सऐप भेजा जाना एवं परिवादी की जमीन के रूपान्तरण हेतु एनओसी जारी करने के लिये यूडीएच की ओर से परिवादी की जमीन की एनओसी के सम्बंध में यूआईटी, उदयपुर के द्वारा यूडीएच को भेजे गये पत्र में परिवादी की भूमि से सम्बंधित खसरा नम्बर 1853 का उल्लेख होते हुये भी उक्त खसरा नम्बर का अंकन नही होने का जानबूझकर आक्षेप लगाना जाना, परिवादी की भूमि के रूपान्तरण हेतु यूडीएच से एनओसी की आवश्यकता नही होने के बावजूद भी यूआईटी उदयपुर द्वारा परिवादी की जमीन के रूपान्तरण हेतु यूडीएच से एनओसी मांगा जाना एवं अन्य परिस्थिति जन्य साक्ष्यो से आरोपी श्री लोकेश जैन पुत्र श्री शांति लाल जैन, उम्र 39 साल, जाति जैन, निवासी– प्लॉट नम्बर 19, माधव नगर, शोभागपुरा, उदयपुर हाल फ्लेट नम्बर 503, आर्ची अरिहन्त अपार्टमेंट, शोभागपुरा, जे के पारस हॉस्पीटल के पास, पुलिस थाना सुखेर, जिला उदयपुर (प्राईवेट व्यक्ति) के द्वारा श्री हरिमोहन मीणा, सहायक अनुभागाधिकारी, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर, श्री मनीष गोयल, सयुक्त शासन सचिव– प्रथम, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान– जयपुर, श्री कुंजीलाल मीणा (आई.ए.एस) प्रिसिंपल सेकेट्री, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर व यूआईटी उदयपुर के अधिकारियो से मिलिभगत कर आपराधिक षड्यंत्र की रचना कर दिनांक 10.04.2023 को परिवादी श्री देवीलाल चौधरी से उसकी भूमि के रिसोर्ट प्रयोजनार्थ नियमन हेतु नगरीय विकास विभाग से एन.ओ.सी. जारी करवाने एवं परिवादी की उक्त जमीन से लगती हुई न्यास भूमि का परिवादी को कीमतन आवटंन करवाने की एवज में श्री हरिमोहन मीणा, सहायक अनुभागाधिकारी, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर, श्री मनीष गोयल, सयुक्त शासन सचिव– प्रथम, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान– जयपुर एवं श्री कुंजीलाल मीणा (आई. ए.एस) प्रिसिंपल सेकेट्री, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर के लिये 25 लाख रूपये की रिश्वत की मांग करना एवं इस कार्य के लिये 10 लाख रूपये एडवांस के रूप में मांगना तथा

दिनांक 02.05.2023 को श्री लोकेश जैन प्राईवेट व्यक्ति द्वारा परिवादी से उसकी भूमि के रिसोर्ट प्रयोजनार्थ नियमन हेतु नगरीय विकास विभाग से एन.ओ.सी. जारी करवाने की एवज में श्री हरिमोहन मीणा, श्री मनीष गोयल, श्री कुंजीलाल मीणा एवं अन्य के लिये 12 लाख रूपये की रिश्वत की मांग करना एवं अपनी मांग के अनुसरण में दिनांक 08.05.2023 को परिवादी श्री देवीलाल चौधरी से 12 लाख रूपये की रिश्वत राशि प्राप्त करना अपराध अन्तर्गत धारा 7, 7A भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं धारा 120 बी भा.द.स में प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है।

अतः आरोपी 1. श्री लोकेश जैन पुत्र श्री शांति लाल जैन, उम्र 39 साल, जाति जैन, निवासी– प्लॉट नम्बर 19, माधव नगर, शोभागपुरा, उदयपुर हाल फ्लेट नम्बर 503, आर्ची अरिहन्त अपार्टमेंट, शोभागपुरा, जे के पारस हॉस्पीटल के पास, पुलिस थाना सुखेर, जिला उदयपुर (प्राईवेट व्यक्ति) 2. श्री हरिमोहन मीणा, सहायक अनुभागाधिकारी, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर, 3. श्री मनीष गोयल, सयुक्त शासन सचिव– प्रथम, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान– जयपुर एवं 4. श्री कुंजीलाल मीणा (आई.ए.एस) प्रिसिंपल सेकेट्री, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर व अन्य के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 7, 7A भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं धारा 120 बी भा.द.स में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कमांकन हेतु सादर प्रेषित है।

10/05/2023

(सुभाष मील)
पुलिस निरीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो.
स्पेशल यूनिट–द्वितीय,जयपुर।
हाल कैम्पः– उदयपुर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुभाष मील, पुलिस निरीक्षक, स्पेशल यूनिट द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में आरोपीगण 1. श्री लोकेश जैन पुत्र श्री शांति लाल जैन, (प्राईवेट व्यक्ति) निवासी प्लॉट नम्बर 19, माधव नगर, शोभागपुरा, उदयपुर हाल फ्लेट नम्बर 503, आर्ची अरिहन्त अपार्टमेंट, शोभागपुरा, जे.के. पारस हॉस्पीटल के पास पुलिस थाना सुखेर जिला उदयपुर 2. श्री हरिमोहन मीणा, सहायक अनुभागाधिकारी, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर 3. श्री मनीष गोयल (आर.ए.एस.), संयुक्त शासन सचिव-प्रथम, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर 4. श्री कुंजीलाल मीणा (आई.ए.एस.) प्रिसिंपल सेक्रेट्री, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर एवं अन्य के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 114/2023 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट की नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

10.5.23

(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक 860-64 दिनांक 10.5.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर।
2. शासन उप सचिव, कार्मिक (क-3/शिकायत) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. शासन सचिव, कार्मिक (ख-1) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एसयू-द्वितीय जयपुर।

10.5.23

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।